



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
www.cghb.gov.in
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र - कवर्धा



विक्रय हेतु उपलब्ध सम्पत्ति

क्र.	योजना का नाम एवं स्थान	उपलब्ध भवनों का प्रकार	भवनों की संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	भवन का कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	स्थिर मूल्य (लाख में)	पंजीयन राशि (लाख में)	योजना का प्रकार
1	अटल विहार योजना, बेमेतरा	सिनी. एम.आई.जी.	09	2042.00	1076.25	29.75	2.98	स्ववित्तीय आधार पर
		जूनी. एम.आई.जी.	21	1508.00	982.90	24.00	2.40	
2	अटल विहार योजना, मैनपुरी, कवीरधाम	एल.आई.जी.	30	1033.00	531.97	8.60	0.50	एकमुश्त आधार पर
		ई.डब्ल्यू.एस.	04	436.00	312.04	3.50	0.25	
3	अटल आवास, बोड़ला	अटल आवास	81	560.00	280.04	2.00	0.25	एकमुश्त आधार पर

नियम व शर्तें : 1. पंजीयन राशि बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा संपदा अधिकारी छ.ग. गृह निर्माण मण्डल संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा के नाम पर जमा कर सकते हैं। 2. **भवनों का प्रथम आओ-प्रथम पाओ पद्धति से आबंटन** किया जायेगा। 3. भवन आबंटन हो जाने के पश्चात् क्रय नहीं करने पर पंजीयन राशि में से 10 प्रतिशत राशि कटौती कर शेष राशि वापस की जायेगी। 4. बैटर लोकेशन, कॉर्नर चार्ज एवं सिंगल भवन चार्ज पृथक से देय होगा। 5. बिन्दू क्रमांक 2 एवं 3 में से सेवा शुल्क (सर्विस टैक्स) पृथक से देय होगा। 6. राज्य प्रवर्तित योजना, अटल विहार योजनांतर्गत एल.आई.जी. भवन में रु. 40000/- एवं ई.डब्ल्यू.एस. के भवन के लिए रु. 80000/- की छूट दी जायेगी। 7. क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के अंतर्गत कारपेट क्षेत्र 60 वर्गमीटर तक के भवनों में रु. 6.00 लाख तक आवास ऋण पर 6.50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जायेगी। 8. ई.डब्ल्यू.एस./अटल आवास के लिए वार्षिक आय रु. 3.00 लाख एवं एल.आई.जी. हेतु वार्षिक आय रु. 3.00 लाख से 6.00 लाख तक होनी चाहिए तथा हितग्राहियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। 9 अन्य नियम व शर्तों की जानकारी हेतु संभाग/संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा एवं शंकर नगर रायपुर/पर्यावास भवन नया रायपुर स्थित सूचना केन्द्र से सम्पर्क करें।

सम्पर्क :- फोन नं.-9302712623,9406440772, 0771203103,8109135551,9425243136 | पंजीयन आमंत्रित : 29-04-2017 तक | टोल फ्री नं. 1800 200 6313

मकान नहीं घर बनाते हैं - पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं